

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय हाजा को राजस्थान
काश्तकारी भवनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार
है - चूंकि अपील द्वारा - 75 लेण्ड रेवेन्यू खट के
मन्तवर्गि भाती है खम न्यायालय हाजा को इसका
क्षेत्राधिकार नही होने से न्यायालय उपरखण अधिकारी
गिवा को पुनः लौचया जा रहा है। तकरण मागाभी
पेशी दिनांक 21/5/24 को पेश हो

1. न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी भवनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार है - चूंकि अपील द्वारा - 75 लेण्ड रेवेन्यू खट के मन्तवर्गि भाती है खम न्यायालय हाजा को इसका क्षेत्राधिकार नही होने से न्यायालय उपरखण अधिकारी गिवा को पुनः लौचया जा रहा है। तकरण मागाभी पेशी दिनांक 21/5/24 को पेश हो

1. न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी भवनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार है - चूंकि अपील द्वारा - 75 लेण्ड रेवेन्यू खट के मन्तवर्गि भाती है खम न्यायालय हाजा को इसका क्षेत्राधिकार नही होने से न्यायालय उपरखण अधिकारी गिवा को पुनः लौचया जा रहा है। तकरण मागाभी पेशी दिनांक 21/5/24 को पेश हो



1. न्यायालय हाजा को राजस्थान काश्तकारी भवनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार है - चूंकि अपील द्वारा - 75 लेण्ड रेवेन्यू खट के मन्तवर्गि भाती है खम न्यायालय हाजा को इसका क्षेत्राधिकार नही होने से न्यायालय उपरखण अधिकारी गिवा को पुनः लौचया जा रहा है। तकरण मागाभी पेशी दिनांक 21/5/24 को पेश हो